

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर (म.प्र.)

आदेश

क्रमांक ११ /लेखा/22

मण्डलेश्वर दिनांक

०८/०१/२२

वर्तमान में कोरोना—19 महामारी के नये वैरियंट ओमीक्रान के अत्यधिक तीव्रता से फैलने के फलस्वरूप चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से वेतन भोगी कर्मचारियों, वाहन चालक, भृत्य/ चौकीदार/ जलवाहक, माली एवं स्वीपर, कलेक्टर रेट प्रवर्ग की सीधी भर्ती हेतु दिनांक 15.01.2022 को आयोजित साक्षात्कार, माननीय पोर्ट फोलियो न्यायाधिपति महोदय की सहमति एवं निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थगित किये जाते हैं।

मुख्यमंत्री
निर्देश

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर

पृ.क्रमांक २९ /लेखा/22

मण्डलेश्वर दिनांक ०८/०१/२२

प्रतिलिपि :-

01. माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, म.प्र. खण्डपीठ इंदौर की ओर माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने के निवेदन सहित प्रेषित।
02. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
03. प्रिसिंपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संबंधित सर्विस प्रोवार्इडर को निर्देशित करने का कष्ट करें कि दिनांक 15.01.2022 को आयोजित साक्षात्कार में समिलित होने वाले अभ्यर्थीगण को एस.एम.एस./ई मेल के माध्यम से साक्षात्कार स्थगन की सूचना अविलंब देवे।
04. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, मण्डलेश्वर की ओर प्रधान जिला न्यायालय, मण्डलेश्वर के सूचना पटल पर चर्चा कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने बाबत प्रेषित।
05. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, प्रधान जिला न्यायालय, मण्डलेश्वर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश उच्च न्यायालय एवं प्रधान जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
06. जन संपर्क अधिकारी, खरगोन की ओर इस निर्देश के साथ आदेश की प्रति प्रेषित है कि साक्षात्कार स्थगित होने की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ०८/०१/२२

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर